संख्या:18 /2021/524ई-2/तेरह-2021-23/2009

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-122/दो-प्रा.डी.-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 13.03.2020, पत्र संख्या-जी-46/दो-प्रा.डी.-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 15.10.2020 तथा पत्र संख्या-जी-63/दो-प्रा.डी.-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 11.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत **उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त** निम्नवत् निर्धारित किये जाते है-

(1) चीनी मिल समूह जिनकी कई चीनी मिलें एवं सहोदर आसवनियां प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर कार्यरत है, ऐसे समूहों की किसी मिल विशेष में, जहां एक ही परिसर में सहोदर आसवनी इकाई भी कार्यरत है, में सम्पूर्ण पेराई क्षमता को केन जूस एवं शुगर सीरप से एथनॉल बनाये जाने के लिए उपयोग किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

(2) गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल उत्पादन करने की प्रक्रिया में मात्र एथनॉल /अल्कोहल का उत्पादन होता है तथा चीनी एवं शीरे का उत्पादन नहीं होता है। अतः गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल बनाने वाली आसवनी इकाईयों को भी चीनी मिलों की भांति गन्ने के आवंटन एवं गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में सुसंगत अधिनियम/नियमावली/आदेश एवं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) टैंकर से केन जूस के परिवहन के दौरान केन जूस में कैन्टामिनेशन होने की प्रबल सम्भावना होने के कारण ऐसी आसवनियाँ जिनकी अपनी सहोदर चीनी मिल नही है, उन्हें केन जूस से एथनॉल निर्माण किये जाने की अनुमति अनुमन्य नही होगी।

(4) केन जूस से एथनॉल उत्पादन आबकारी अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अधीन अनुज्ञापन प्राप्त सहोदर आसवनियों द्वारा ही किया जायेगा।

(5) केन जूस से उत्पादित एथनॉल का प्रमाण-पत्र प्रभारी आबकारी अधिकारी /सहायक आबकारी आयुक्त, सम्बन्धित आसवनी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(6) केन जूस से उत्पादित एथनॉल को आसवनी के वेयर हाउस में स्थित अलग वेट्स में संचित किया जायेगा।

(7) केन जूस से उत्पादित एथनॉल का प्रयोग केवल पेट्रोल में मिश्रण के लिए ही किया जायेगा।

(8) जब राज्य में चीनी की कमी होगी तो ऐसी चीनी मिल इकाइयां चीनी उत्पादन के लिए बाध्य होंगी, जिसके सम्बन्ध में गन्ना विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(9) केन जूस से एथनॉल उत्पादन, संचय एवं निकासी से संबंधित समस्त विवरण आसवनी स्तर पर शीरे से उत्पादित एथनॉल के विवरण से पृथक अलग-अलग रखे जायेंगे।

(10) केन जूस को चीनी मिल से सम्बन्धित आसवनी में पाइप लाइन द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा। इस निमित्त चीनी मिल एवं आसवनी स्थल पर एक ही प्रकार के इलेक्ट्रानिक वे-मेन्ट सिस्टम दोनों स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में स्थानान्तरित केन जूस का एम.एफ.-4 पास के सदृश्य पास चीनी मिल स्तर पर उप आबकारी निरीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसका सत्यापन आसवनी स्तर पर प्रभारी आबकारी निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। केन जूस के पाइप लाइन ट्रान्सफर में होने वाले कन्टामिनेशन को रोकने का पूर्ण दायित्व चीनी मिल अध्यासी एवं संबंधित आसवनी का होगा।

(11) केन जूस से एथनॉल उत्पादन के निमित्त अल्कोहल की रिकवरी का ऑकलन तथा नियम उक्त केन जूस में उपलब्ध फरमेन्टेबुल शुगर के आधार पर किया जायेगा।

(12) केन जूस से अल्कोहल बनाये जाने की अनुमति दिये जाने की कार्यवाही सक्षम स्तर से प्रदान किये जाने के पश्चात ही दी जायेगी।

(13) किसी भी आसवनी को आबकारी आयुक्त से केन जूस से अल्कोहल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्राप्त किये जाने से पूर्व गन्ना एवं चीनी विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(14) केन जूस संचय हेतु चीनी मिल एवं आसवनी में अलग-अलग टैंक की व्यवस्था की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) चीनी मिल से भेजे जाने वाले केन जूस एवं आसवनी में प्राप्त होने वाले केन जूस, उपभोग, उत्पादित एथनॉल एवं फरमेन्टेशन तथा डिस्टिलेशन क्षमता का उचित अभिलेख निर्धारित प्रारूप में रखे जायेंगे।

(16) केन जूस की गुणवत्ता को ध्यान में रखने हेतु प्रत्येक 4 घंटे पर केन जूस की ब्रिक्स, प्योरिटी एवं टी.आर.एस. का प्रतिशत चीनी मिल एवं आसवनी के अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।

(17) केन जूस से एथनॉल निर्माण के समय उत्तर प्रदेश आसवनी स्थापना नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नमूना आहरित कर परीक्षण कराया जायेगा। नमूने को आसवनी स्तर पर **कन्टामिनेशन** के बिना सुरक्षित रखना तथा सम्बन्धित प्रयोगशाला तक परीक्षण हेतु पहुचाये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आसवक की होगी।

(18) केन जूस एवं शुगर सीरप से एथनॉल बनाये जाने की दशा में संबंधित मिल में गन्ना पेराई की उस मात्रा विशेष से चीनी का उत्पादन नही होगा। अतः गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(5) एवं संगत नियमावली, 1954 के नियम-48(क) के अधीन एथनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग किये गये केन जूस या शुगर सीरप के उत्पादन हेतु प्रयुक्त गन्ना पेराई की मात्रा पर चीनी के स्थान पर, उत्पादित किये गये एथनॉल को टैग किये जाने की बाध्यता होगी।

(19) किसी चीनी मिल द्वारा अपनी सहोदर आसवनी में गन्ने की कितनी मात्रा, केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाएगी, इसकी पूर्व सूचना पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व (30 सितम्बर तक) गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

(20) किसी पेराई सत्र में गन्ना पेराई की कितनी मात्रा, एथनॉल उत्पादन में प्रयुक्त की जाएगी, इसके निर्धारण का अधिकार गन्ना आयुक्त, उ.प्र. में निहित होगा तथा उनके द्वारा पेराई सत्र के दौरान भी यथावश्यकता किसी भी समय एथनॉल उत्पादन में प्रयुक्त किये जाने वाले गन्ने की मात्रा संशोधित की जा सकेगी।

(21) भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल बनाये जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कोई ऐसा संशोधन/परिवर्धन किया जाता है, जिसमें कोई वित्तीय उपाशय निहित न हो, तो उसके क्रम में उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आवश्यक संशोधन/परिवर्धन करने के लिए यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन अधिकृत होंगे।

कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in